राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय महिला अधिकारिता
(राज्य महिला सन्दर्भ केन्द्र)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ.27(1)(35)(II)/निमअ/एसआरसीडब्ल्यू/एमआरवाई/2015–16/16211 जयपुर, दिनांकः 2/5/17

परिपत्र

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले परिलाभ हेतु भामाशाह कार्ड विवरण को लाभार्थी से प्राप्त कर ऑनलाईन किये जाने के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

- बजट घोषणा 160 की अनुपालना में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ दिनांक 15.05.2017 के बाद भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही दिये जायेगे।
- सभी एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी गर्भवती महिला से एएनसी अथवा एमसीएचएन दिवस के दौरान ही भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुडा हुआ बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर निकटतम राजकीय अस्पताल में उपलब्ध करवाये।
- लाभार्थी महिला द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विवरण को संबंधित एएनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर प्रसव पूर्व ही इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में शत–प्रतिशत रुप से करवाना सुनिश्चित की जावें।
- प्रत्येक आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी द्वारा की जाने वाली होम विजिट्स में महिला से भामाशाह कार्ड विवरण प्राप्त किया जावें।
- स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाडी केन्द्रों पर आयोजित होने वाले टीकाकरण दिवसों (एमसीएचएन दिवस) पर भी ऐसी गर्भवती महिला जिनके द्वारा अब तक भामाशाह कार्ड नहीं बनवाया गया है, को इस हेतु प्रेरित किया जावे।
- जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई–मित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाडी केन्द्र अथवा राजकीय अस्पताल में विवरण उपलब्ध करवाये। इस हेतु सभी एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी द्वारा हितग्राही को प्रेरित किया जावे।
- महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड कार्यकर्ताओं/मानदेय कर्मियों के माध्यम से उपरोक्त का सघन प्रचार–प्रसार किया जावे।

शासन सचिव
चिकित्सा, स्वा. एवं प.क. विभाग
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : एफ.27(1)(35)(II)/निमअ/एसआरसीडब्ल्यू/एमआरवाई/2015–16/16212–323 जयपुर, दिनांकः 2/5/17

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकि.,स्वा.एवं प.क. विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम),जयपुर।
4. निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, जयपुर।
5. निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक (मातृस्वास्थ्य), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
8. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
9. समस्त सहायक निदेशक/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता।
10. समस्त सीडीपीओ, समेकित बाल विकास सेवाएं।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
महिला अधिकारिता